पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विविध अपील संख्या 667/2018

==========

मणि भूषण प्रसाद उर्फ कनहयाजी पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद अंबष्ठा, निवासी खगौल, ग्राम सैदपुरा, थाना और डाकघर खगौल, जिला पटना - 801105.

... ... अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती दीप्ति चंद्रा उर्फ डेजी पति श्री मणि भूषण प्रसाद उर्फ कन्हैजी, पिता स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सिन्हा निवासी पी.एन.एस. कॉलेज परिसर सहकारी गली, अलाहबखासपुर, थाना- आलमगंज, जिला पटना ।

... ... प्रतिवादी

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री मणि भूषण प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार, अधिविक्ता

==========

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984-- धारा 19(1)— अपीलकर्ता ने अपने पदस्थापन के स्थान पर, अर्थात्, बारोडा, गुजरात में, पति-पत्नी के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक मुकदमा दायर किया—जैसे ही प्रतिवादी को पुनर्स्थापना मामले में नोटिस मिला, उसने उपस्थिति दर्ज कराई और अपना लिखित उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद अपीलकर्ता ने पुनर्स्थापना याचिका वापस ले ली, जो स्वयं साबित करता है कि उसने उचित दृष्टिकोण के साथ और बोना फाइड इरादे से पुनर्स्थापना मामला दायर नहीं किया—मामला निपटान के लिए मध्यस्थता केंद्र के सामने भी प्रस्तुत किया गया—अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ रहने में रुचि नहीं रखता था, बल्कि उसने विवाद को निपटाने के लिए प्रतिवादी को एक बार के निपटान का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रतिवादी एक बार के निपटान के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसने अपीलकर्ता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी और तलाक के आदेश के पक्ष में नहीं थी —'क्रूरता' शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में विशेष शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता उस प्रकार की होती है और आचरण का ऐसा होता है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में एक उचित आशंका पैदा करता

है कि यह हानिकारक और हानिमानक होगा—अपीलकर्ता अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार को समझदारी, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य की शक्ति से साबित करने में असफल रहा है, जबकि क्रूरता का बोझ अपीलकर्ता पर है, क्योंकि उसने प्रतिवादी के प्रति क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक की मांग की है—परिवार न्यायालय के समक्ष दायर की गई याचिका में कथित क्रूरता की संदर्भ में किसी एक कथित घटना का भी उल्लेख नहीं किया गया है—अपीलकर्ता ने क्रूरता के आरोप को साबित करने में असफल रहा है, प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार का आदेश जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के आदेश के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, इसके अलावा अपीलकर्ता यह साबित करने में भी असफल रहा है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को छोड़ दिया—अपील में कोई मेरिट नहीं है जो विवादित निर्णय में किसी हस्तक्षेप को उचित ठहराए—अपील खारिज, विवादित निर्णय की पुष्टि की गई।

(पैराग्राफ 16, 20, 22 से 24)

2007 (4) एससीसी 511; 1975 एआईआर 1534-- निर्भर किया गया ।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्रसाद सिंह

सीएवी निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति एस.बी.प्रसाद सिंह)

दिनांक: 19-03-2025

पक्षों की सुनवाई की गई।

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत दायर की गई है, जिसमें वैवाहिक वाद संख्या 251/2010 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना द्वारा पारित दिनांक 22.06.2018 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद पर तलाक की डिक्री के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैवाहिक वाद को खारिज कर दिया गया है।

3. पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार अपीलकर्ता का मामला यह है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी का विवाह 01.05.2001 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। अपीलकर्ता रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। विवाह के परिणामस्वरूप अदिति नाम की बच्ची का जन्म हआ। विवाह के बाद, प्रतिवादी अपने ससुराल चली गई और लगभग 14 दिनों तक वहाँ रही और उसके बाद, वह अपने पिता के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से उसके साथ उसकी वैवाहिक घर पर आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। प्रतिवादी अपने भाई और विजय कुमार नामक एक व्यक्ति के साथ *दुर्गापूजा* के अवसर पर अपीलकर्ता के वैवाहिक घर बड़ौदा आई थी, जिसे उसके पिता का मित्र बताया जाता है। इस बीच, प्रत्यर्थी गर्भवती हो गई और जब अपीलकर्ता 03.11.2001 को अपने बड़े भाई की बेटी की *छठी* में शामिल होने के लिए प्रत्यर्थी के साथ आया, तो प्रत्यर्थी की मां ने प्रत्यर्थी से अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी के पैतृक घर में ही पहला प्रसव कराया जाए। प्रत्यर्थी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को उसके पैतृक घर भेज दिया और बड़ौदा में अपनी नियुक्ति के स्थान पर चला गया। कुछ समय बाद, जब अपीलकर्ता अपनी बीमार बहन को देखने के लिए पटना आया, तो उसे अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में पता चला। वह नर्सिंग होम गया और पाया कि प्रत्यर्थी ने पहले ही सिजेरियन ऑपरेशन से एक बच्ची को जन्म दिया था। प्रत्यर्थी ने ऑपरेशन के दौरान हुए खर्च के लिए प्रत्यर्थी की मां को 7000/- रुपये दिए और उसके बाद अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए बड़ौदा में अपनी नियुक्ति के स्थान पर चला गया। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी से उसके पदस्थापन स्थान पर आने के लिए कई बार अनुरोध करने पर वह नवम्बर, 2002 में वहां गई, लेकिन जनवरी, 2003 में अपीलकर्ता के बड़े भाई की दूसरी संतान की *छठी* के अवसर पर पटना स्थित अपने पैतृक घर लौट आई। समारोह के बाद जब अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से उसके पदस्थापन स्थान पर आने के लिए कहा, तो वह अपने रिश्तेदार से मिलने के बहाने अपने *नैहर* जाना चाहती थी, उसने वापस आने का वादा किया, लेकिन उसके बाद वह अपीलकर्ता के साथ नहीं गई। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को बच्चों के साथ बड़ौदा आने के लिए मनाने के कई प्रयास किए, लेकिन उसने अपीलकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया। अंततः अपीलकर्ता ने वैवाहिक

अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए 14.03.2005 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत बड़ौदा में केस नंबर एचएमपी 122/2005 दायर किया, लेकिन वैध नोटिस की सेवा के बावजूद, प्रतिवादी कभी अपीलकर्ता के साथ रहने नहीं आया। अपीलकर्ता द्वारा पुनर्स्थापना का मामला दायर करने के बाद, प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का मामला नंबर 53 (एम) 2005 दायर किया है। उपरोक्त मामले में, सुलह के समय उसने दिखावा किया कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन यह मगरमच्छ के आंसुओं जैसा था क्योंकि वह अपीलकर्ता को धमकी दे रही थी कि वह खुद को जला लेगी और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में फंसा देगी और उन्हें जेल भेज देगी और अपीलकर्ता अपनी नौकरी खो देगा। अंततः दिनांक 10.11.2009 के आदेश के तहत विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 5000/- रूपये प्रतिमाह तथा उसकी पुत्री सृष्टि को 2000/- रूपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया तथा आज तक अपीलकर्ता पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि का निरंतर भुगतान कर रहा है। अपीलकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को वापस लाने तथा सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद जनवरी, 2003 से बिना किसी उचित बहाने के उसके समाज को छोड़ दिया है। प्रतिवादी भी क्रूरता की दोषी है क्योंकि वह अपीलकर्ता को उसकी पुत्री से मिलने नहीं देती है। इसलिए प्रार्थना की गई कि 01.05.2001 को संपन्न हुए दोनों पक्षों के विवाह को तलाक के आदेश द्वारा विघटित किया जाए।

4. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के जवाब में प्रतिवादी/ओपी उपस्थित हुए और अपना जवाब/लिखित बयान दाखिल किया।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता का विवाह 01.05.2001 को संपन्न हुआ था और विवाह से बाहर एक लड़की जिसका नाम सृष्टि सिन्हा था, का जन्म 21.06.2002 को हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रस्तुत वाद सुनवाई योग्य नहीं है तथा अपीलकर्ता के पास कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के विरुद्ध यह वाद तुच्छ तथा काल्पनिक आधार पर दायर किया गया है, क्योंकि अपीलकर्ता अपने

रिश्तेदारों के बहकावे में आकर प्रतिवादी के साथ रहने से बच रहा है। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ विवाह से 21.05.2002 को एक लड़की को जन्म दिया। अब वह 22 वर्ष की है तथा भवानीपुर एजुकेशन सोसायटी कॉलेज, कोलकाता से बी.कॉम. (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही है, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग भी कर रही है तथा प्रतिवादी उसकी शिक्षा पर प्रति वर्ष 3,09,000/- रुपये का भुगतान कर रहा है। अपीलकर्ता बिना किसी कारण के अपनी वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी तथा बेटी के साथ रहने से बच रहा है। प्रतिवादी हमेशा अपने पति के साथ उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में रहने और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन यह अपीलकर्ता है जो प्रतिवादी के साथ नहीं रहना चाहती है। अपीलकर्ता हमेशा अपनी पत्नी (प्रतिवादी) और बेटी के प्रति अनिच्छुक था और उसकी बेटी के जन्म के समय, ऑपरेशन की पूरी लागत और अन्य खर्च उसकी माँ ने वहन किए थे। प्रतिवादी ने कई मौकों पर बड़ौदा में अपीलकर्ता की पोस्टिंग के स्थान पर जाने और उसके साथ पत्नी के रूप में रहने की कोशिश की, लेकिन अपीलकर्ता कभी नहीं चाहता था कि प्रतिवादी उसके साथ उसकी पोस्टिंग के स्थान पर रहे। हालाँकि अपीलकर्ता ने गुजरात के बड़ौदा की अदालत में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एच.एम.पी. केस नंबर 122/2005 दायर किया था। प्रतिवादी उक्त मामले में उपस्थित हुई थी और अपीलकर्ता के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार थी, लेकिन अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और एच.एम.पी. केस संख्या 122/2005 वापस ले लिया। अंततः प्रतिवादी ने भरण-पोषण केस संख्या 53(एम)/2005 दायर किया। केस संख्या 53(एम)/2005 में सुलह के समय अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ रहने से इनकार कर दिया। वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान भी मामला मेडिकेशन सेंटर को भेजा गया था। मेडिकेशन सेंटर में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ रहने से इनकार कर दिया और एकमुश्त समझौता करने की पेशकश की, लेकिन प्रतिवादी ने समझौता करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार थी और तलाक के पक्ष में नहीं थी। प्रतिवादी ने कभी भी अपीलकर्ता का साथ खुद से नहीं छोड़ा, बल्कि अपीलकर्ता उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। प्रतिवादी ने अपीलार्थी के प्रति कोई ऐसा

कार्य नहीं किया है जो क्रूरता अथवा परित्याग का गठन करता हो, इसलिए अपीलार्थी तलाक के आदेश के लिए उत्तरदायी नहीं है।

6. दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों के आधार पर, इस मामले में निम्न विद्वान न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:-

1. क्या तैयार किया गया मामला बनाए रखने योग्य है?

2. क्या याचिकाकर्ता के पास यह मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण है?

3. क्या विपक्षी पक्ष ने तत्काल मामले की प्रस्तुति से पहले दो साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है?

4. क्या विपक्षी पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता की गई थी?

5. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य राहत या राहतों का हकदार है?

7. परीक्षण के दौरान, अपीलकर्ता की ओर से कुल दो गवाह पेश किए गए हैं जो पी.डब्ल्यू. 1 मणि भूषण प्रसाद (अपीलकर्ता स्वयं) और पी.डब्ल्यू. 2 विद्या भूषण प्रसाद (अपीलकर्ता का भाई)।

8. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा, अपीलकर्ता की ओर से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रदर्श 1-विवाह वाद संख्या 122/05 के वादपत्र की कॉपी.

प्रदर्श 2- दिनांक 25.04.2001 की वस्तुओं के विवरण की फोटोकॉपी

प्रदर्श 3- रेलवे आरक्षण टिकट

प्रदर्श 4- बच्चे के साथ मणि भूषण प्रसाद की फोटोकॉपी

प्रदर्श 5- वैवाहिक वाद संख्या 122/05 में विपक्षी पक्ष द्वारा दायर याचिका दिनांक 25.07.2005 की फोटोकॉपी।

9. प्रतिवादी/ओपी की ओर से दो गवाह पेश किए गए हैं जो ओ.पी.डब्लू.-1 दीप्ति चंद्रा (स्वयं प्रतिवादी) ओ.पी.डब्लू.-2 कमला वर्मा (प्रतिवादी की मां) हैं।

10. गवाहों के उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा अपीलार्थी की ओर से एक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है जिसे वैवाहिक प्रकरण संख्या 122/05 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2006 की सी.सी. की फोटोकॉपी के रूप में अंकित किया गया है।

11. मुकदमे के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने माना है कि अपीलकर्ता ने यह साबित नहीं किया है कि उसके साथ प्रतिवादी द्वारा क्रूरता की गई थी और अपीलकर्ता द्वारा दायर मामला बनाए रखने योग्य नहीं है और अपीलकर्ता के पास तत्काल मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण नहीं है। तदनुसार, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता क्रूरता के आधार पर तलाक के आदेश का हकदार नहीं था और मुकदमा तदनुसार खारिज कर दिया गया।

12. इसके बाद, वैवाहिक मामले संख्या 251/2010 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खराब है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि विवेकपूर्ण विचार के बिना यंत्रवत् पारित की गई है। प्रतिवादी ने 2003 से अपीलकर्ता को छोड़ दिया था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखने में इच्छुक नहीं थी। अंततः अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए 14.03.2005 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत बड़ौदा में केस संख्या एचएमपी 122/2005 के तहत मामला दायर किया, लेकिन वैध

नोटिस की सेवा के बावजूद प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए कभी नहीं आई। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति वाद दायर करने के पश्चात प्रतिवादी ने भरण-पोषण वाद संख्या 53(एम) वर्ष 2005 में धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत दायर किया है। उक्त मामले में सुलह के समय उसने यह दिखावा किया कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है, लेकिन यह मगरमच्छ के आंसू जैसा था, क्योंकि वह अपीलकर्ता को धमकी दे रही थी कि वह खुद को जला लेगी तथा अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में फंसा देगी और उन्हें जेल भेज देगी तथा अपीलकर्ता की नौकरी चली जाएगी। प्रतिवादी मगध महिला कॉलेज, गांधी मैदान, पटना में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है तथा अपनी नौकरी से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कमा रही है। प्रतिवादी अपने पैतृक संपत्ति के हिस्से में एक लॉज (छात्रावास) चला रही है, जिससे उसे 50,000 रुपये प्रति माह किराया भी मिल रहा है। अपीलकर्ता भी 50,000 रुपये प्रति माह किराया दे रही है। भरण-पोषण प्रकरण संख्या 53(एम) 2005 में निचली अदालत के निर्देशानुसार प्रतिवादी और उसकी बेटी को भरण-पोषण के रूप में 7000/- प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। प्रतिवादी ने जनवरी, 2003 से बिना किसी उचित बहाने के अपीलकर्ता का साथ छोड़ दिया है। वह केवल अपीलकर्ता से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में रुचि रखती है और अपीलकर्ता के साथ नहीं रहना चाहती है।

14. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आरोपित निर्णय और डिक्री न्यायसंगत, कानूनी और कानून के अनुसार है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सही परिप्रेक्ष्य में देखा है और अपीलकर्ता की ओर से दायर तलाक के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया है। प्रतिवादी हमेशा अपने पति (अपीलकर्ता) के साथ उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में रहने और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए इच्छुक और इच्छुक है, लेकिन यह अपीलकर्ता है जो प्रतिवादी को पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं है।

15. प्रतिद्वंदी तर्कों और अपीलकर्ता और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों के मद्देनजर, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलकर्ता अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में न्यायसंगत, उचित और संधारणीय/मान्य है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने तथा अपीलकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एचएमपी मामला संख्या 122/2005 बड़ौदा, गुजरात में दायर किया था और उक्त मामला दायर करने के समय अपीलकर्ता बड़ौदा, गुजरात में रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत था, जबकि प्रतिवादी पटना में रहता था। हालांकि, जैसे ही प्रतिवादी को पुनर्स्थापना मामले में नोटिस प्राप्त हुआ, वह उपस्थित हुई और अपना लिखित बयान दायर किया, लेकिन उसके बाद अपीलकर्ता-पति ने पुनर्स्थापना याचिका वापस ले ली, जो अपने आप में साबित करता है कि उसने पुनर्स्थापना मामला सही परिप्रेक्ष्य में और सद्भावनापूर्वक दायर नहीं किया है। मामले को निपटान के लिए मध्यस्थता केंद्र के समक्ष भी रखा गया था, लेकिन फ्लैग-एम के मध्यस्थ की रिपोर्ट से पता चलता है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ रहने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि उसने एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव दिया और प्रतिवादी को 5 लाख रुपये देने की पेशकश की। और विवाद को निपटाने के लिए अपनी बेटी को 2,50,000/- रुपये दिए लेकिन प्रतिवादी एकमुश्त समझौते के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह अपने पति (अपीलकर्ता) के साथ रहना चाहती थी और तलाक के आदेश के पक्ष में नहीं थी। अपीलकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की है लेकिन विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी जिरह में अपीलकर्ता ने केवल पैरा 19 में यह बयान दिया है कि प्रतिवादी/पत्नी अपीलकर्ता को झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देती थी और

इन आरोपों के अलावा, उसे प्रतिवादी से कोई शिकायत नहीं है। पैरा 19 में अपीलकर्ता का उपरोक्त साक्ष्य पैरा 20 में उसके अपने साक्ष्य से झूठा हो जाता है जिसमें उसने बयान दिया है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। इसके अलावा, पी.डब्ल्यू. 2 बिद्या भूषण प्रसाद जो अपीलकर्ता का बड़ा भाई है, ने पैरा 23 में यह बयान दिया है कि प्रतिवादी शादी के एक साल बाद गुजरात में गर्भवती हो गई। पैरा 26 में पी.डब्लू. 2 ने आगे यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी मई, 2015 से अगस्त, 2015 तक पटना शहर में एक किराए के मकान में रहे और इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता ने प्रतिवादी/पत्नी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, जो अपने आप में साबित करता है कि प्रतिवादी ने जनवरी, 2003 से अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा है जैसा कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है। पैरा 29 और 30 में पी.डब्लू. 2 ने भी प्रतिवादी द्वारा अपने पति (अपीलकर्ता) और ससुराल वालों के प्रति किसी भी तरह के बुरे व्यवहार का आरोप नहीं लगाया है। प्रतिवादी की जांच ओ.पी. डब्लू. नंबर 1 के रूप में की गई है, जिसने पैरा 2 में यह बयान दिया है कि अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया है। उक्त मामले में, प्रतिवादी उपस्थित हुई और न्यायालय ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी को पत्नी के रूप में रखने का आदेश दिया, लेकिन वहां भी, अपीलकर्ता उसे पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं था और अंततः उसने मामला वापस ले लिया। पैरा 3 में, प्रतिवादी ने यह भी बयान दिया कि मामले के लंबित रहने के दौरान, वह अपीलकर्ता के साथ किराए के घर में रहती थी, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को काफी समय तक नहीं छोड़ा है।

17. जहां तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का सवाल है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसी प्रकृति और आचरण है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका पैदा करती है कि ओ.पी.-प्रतिवादी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष जो की 2007 (4) एससीसी 511 में रिपोर्ट की है के प्रमुख मामले में कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस व्यवहार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और वजनदार होनी चाहिए। विवाहित जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, सामान्य टूट-फूट जो कि दिन-प्रतिदिन होती रहती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

19. इस संदर्भ में, हम नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने के मामले में एआईआर 1975, 1534 में दिए गए निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वर्णिम टिप्पणियों को उद्धृत करना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

> *"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि हालांकि धारा 10(1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, उचित होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आशंका के संदर्भ को छोड़कर, वैवाहिक संबंधों के निर्णय में लापरवाही के कानून के तहत एक उचित व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना गलत है। पति-पत्नी से निस्संदेह यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संचालित करें, लेकिन क्रूरता के आरोप की जांच करने वाली अदालत का यह काम नहीं है कि वह विवाहित जीवन के तौर-तरीकों पर विचार करे। कोई व्यक्ति दिन भर काम खत्म करने के लिए देर रात तक जागना चाहता है और कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर गोल्फ खेलना चाहता है। न्यायालय इन आदतों या शौक के आधार पर यह परीक्षण नहीं कर सकता कि क्या एक समझदार व्यक्ति भी इसी तरह व्यवहार करेगा। "यह प्रश्न कि क्या शिकायत की गई दुर्व्यवहार तलाक के उद्देश्यों के लिए क्रूरता और इसी तरह की अन्य चीजें हैं, मुख्य रूप से इस बात से निर्धारित होता है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह आचरण किसी*

समझदार व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हंसी में उड़ाया जा सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में क्रूर नहीं हो सकता है, वह दूसरी परिस्थिति में अत्यधिक क्रूरता हो सकती है।" न्यायालय को आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई भी मौजूद है) से नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद विशेष पुरुष और महिला से निपटना है। आदर्श दम्पति या लगभग आदर्श दम्पति को वैवाहिक न्यायालय में जाने की शायद कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भले ही वे अपने मतभेदों को स्पष्ट न कर पाएं, लेकिन उनके आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी गलतियों और असफलताओं को नजरअंदाज करने या उन पर पर्दा डालने में मदद कर सकते हैं।

20. अपीलकर्ता-पति की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार को पुष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्यों के बल पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार इस मामले में अपीलकर्ता-पति पर है, क्योंकि उसने प्रतिवादी के उसके प्रति क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक की राहत मांगी है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत में कथित क्रूरता की तिथि के संदर्भ में एक भी कथित घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, कथित कुछ कमजोर कार्य या चूक या पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में कभी-कभी दूसरे पति या पत्नी को प्रतिशोध देने के लिए कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए न्यायोचित/टिकाऊ आधार नहीं हो सकता। कुछ तुच्छ कथन या टिप्पणी या एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे को मात्र धमकी देना क्रूरता के ऐसे आदेश के रूप में नहीं समझा जा सकता है, जो तलाक के आदेश के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, तरीके की चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्मे और

पले-बढ़े व्यक्ति, अलग-अलग जीवन स्तर, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और जिस समाज में वे रहते हैं उसमें उनकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

21. जहां तक परित्याग के आधार का संबंध है, यह पी.डब्ल्यू. के साक्ष्य में आया है। 2 (अपीलकर्ता का भाई) और प्रतिवादी (ओ.पी.डब्लू 1) ने कहा कि मामले के लंबित रहने के दौरान भी वे एक साथ किराए के मकान में रहते थे, जिससे यह पता चलता है कि प्रतिवादी ने 2003 से अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा है, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है और दलील दी है। अपीलकर्ता ने पैरा 16 में अपनी जिरह में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसलिए, परित्याग के आधार पर भी अपीलकर्ता तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं है।

22. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और तो और, प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार के आदेश को भी साबित करने में विफल रहा है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के आदेश को मंजूरी देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, साथ ही अपीलकर्ता-पति यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता-पति को छोड़ दिया है।

23. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है, जिसके आधार पर विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलकर्ता के वैवाहिक मामले को सही तरीके से खारिज कर दिया है।

24. तदनुसार, वर्तमान अपील को आरोपित निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज किया जाता है।

(एस बी प्रसाद सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी बी भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शगीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक हो